[2021] 9 एस.सी.आर. 560

सफीक अहमद

बनाम

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड & अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1110/2017)

16 दिसंबर 2021

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति]

मुआवज़ा - मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए फर्जी दावा याचिकाएं दायर करना - खतरे को कैसे रोका जाए - आगे कोई निर्देश जारी करने से पहले, भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय उपचारात्मक और निवारक उपायों के लिए सुझाव देगा - परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को एक पक्ष-प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने के लिए निर्देश जारी - कर्मकार प्रतिकर अधिनियम - मोटर वाहन अधिनियम.

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1110/2017।

सिविल संशोधन संख्या 49/2015 में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 07.10.2015 से।

दीपक ठुकराल, डिप्टी एजी, के.एम. नटराज, जयंत सूद, एएसजी, अतुल नंदा, सुश्री रचना श्रीवास्तव, अरविंद वर्मा, अमन सिन्हा, के.एल. जंजानी, के.जे. जंजानी, वरिष्ठ अधिवक्ताओं में सिद्धार्थ, अमित कुमार अग्रवाल, अंजनी कुमार मिश्रा, सुश्री हरदीप कौर मिश्रा, प्रवीण कुमार मिश्रा, राजेश सेन, डॉ. प्रत्यूष नंदन, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, नवनीत कुमार, अजीत प्रवीण वाघ, मोहित सिंह, पारिजात किशोर, शुभेंदु सुवासिस दास, मो. अपजल अंसारी, वी. एन. रघुपति, संजय कुमार पाठक, सुश्री शशि पाठक, सुश्री मोहिनी चौबे, अन्नाम डी. एन. राव, अन्नाम वेंकटेश, राहुल मिश्रा, सुश्री अनन्या खंडेलवाल, सुश्री अग्रिमा सिंह, शिव शंकर, टी. आर. बी. शिवकुमार, निखिल गोयल, अभिनव

मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, अक्षय सी. श्रीवास्तव, सुश्री प्रतिष्ठा विज, सुधीर नागर, सुश्री रुचि कोहली, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री राधिका गौतम, प्रवीण अग्रवाल, टी. जी. नारायणन नायर, सुश्री प्रिया बालकृष्णन, देवेंद्र सिंह, विश्वजीत एस. कांबले, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, सुनील मारे, नरेश के. शर्मा, अर्धेन्दमौली कुमार प्रसाद, अनिल के. झा, सिबो शंकर मिश्रा, चंचल कुमार गंगुली, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए। के एस महादेवन, सुश्री स्वाति बंसल, राजेश कुमार, अंभोज कुमार सिन्हा, भारत बरोवरिया, विष्णु मेहरा, सुश्री मंजीत चावला, अनंत मेहरोत्रा, संदीप सुधाकर देशमुख, मुकेश के गिरी, साहिल टागोत्रा, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री साक्षी कक्कड़, सुश्री समृद्धि शर्मा, शक्ति सिंह, समर विजय सिंह, विपिन सिंह बंसल, सुश्री रंजीता रोहतगी, शकील अहमद सैयद, प्रदीप मिश्रा, अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री एना उपाध्याय, सुश्री मान्या हसीजा, सुश्री प्रज्ञा बरसैयां, आकाश सिंह, निरनिमेश दुबे, सुश्री उत्तरा बब्बर, मनन बंसल, अनमोल चंदन, दीपबली दत्ता, दीप शिखा भारती, राजेश सिंह चौहान, गुरमीत सिंह मक्कर, अरविंद एस, सुश्री सी रुबावती, गौतम शर्मा, डॉ मोनिका गुसैन, नरेंद्र कुमार, राघवेंद्र केआर, आनंद केआर दुबे, सीके ससी, अब्दुल्ला नसीह वीटी, मीना केपी, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, डी. कुमानन, शेख फखरुद्दीन कालिया, सुश्री आस्था शर्मा, अनंत विजय पल्ली, दीपक पल्ली, अमरीश कुमार, दीपक गोयल, अमरीश कुमार। मेसर्स पीएलआर चैम्बर्स एंड कंपनी के लिए सुहान मुखर्जी, विशाल प्रसाद, निखिल परीक्षित, सायनदीप पहाड़ी, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, रोहित बंसल, जयंत मोहन, सनी चौधरी, संदीप शर्मा, श्रीमती के एनातोली सेमा, अमित कुमार सिंह, सुश्री चुबलेमला चांग, अविजीत मणि त्रिपाठी, टी के नायक, के वी खार्लीनोदोह, शिरीष मेहरोत्रा, सुश्री प्रशांति सिंह, अतुल, सनप्रीत अजमानी, बेली सिंह, सुश्री मंजू जेटली, श्रीमती जी इंदिरा, सुश्री हबीलीला नाना, उपस्थित दलों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. यह मुद्दा मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए फर्जी दावा याचिकाएं दायर करने के संबंध में है।

2. हमारे पहले के आदेश दिनांक 05.10.2021 के अनुसरण में, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दायर की गई शिकायतों/जांच पूरी करने, अभियुक्तों के नाम, जहां आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और जिन आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं, के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है। एक अलग शीट जिसमें उन अधिवक्ताओं के नाम हैं जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों के मामले पाए गए

हैं, एक अलग सीलबंद लिफाफे में दायर किया गया है। स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआईटी को अब तक उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों से संदिग्ध दावों के कुल 1376 मामले प्राप्त हुए हैं। इसके विभिन्न वर्षों में प्राप्त 1376 मामलों का वर्षवार विवरण इस प्रकार हैः

क्रम संख्या	वर्ष	प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाले मामले
1.	2015	252
2.	2016	758
3.	2017	128
4.	2018	95
5.	2019	65
6.	2020	71
7.	2021	30
	कुल मामले	1376

3. यह बताया गया है कि एसआईटी द्वारा प्राप्त संदिग्ध दावों के कुल 1376 मामलों में से, आज तक संदिग्ध दावों के 247 मामलों की जांच पूरी करने के बाद, कुल 198 आरोपी व्यक्तियों को प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का दोषी पाया गया है और तदनुसार विभिन्न जिलों में कुल 92 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 1 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह कहा गया है कि संदिग्ध दावों के शेष मामलों की जांच चल रही है।

3.1. यह भी कहा गया है कि अब तक दर्ज किए गए कुल आपराधिक मामलों में से 36 आपराधिक मामलों की जांच पूरी कर ली गई है और 32 आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 4 आपराधिक मामलों में अंतिम रिपोर्ट संबंधित आपराधिक न्यायालय को भेज दी गई है।

3.2. विभिन्न जिलों में अब तक कुल 92 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 55 मामलों में 28 अधिवक्ताओं को आरोपी व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। अब तक 25 मामलों में 11 अधिवक्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र संबंधित निचली न्यायालय को भेजे जा चुके हैं।

3.3. स्थिति रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एस.आई.टी. का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अधिकारियों/कर्मचारियों को पूरे राज्य के जिलों में जाना पड़ता है और कभी-कभी उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अन्य राज्यों में जांच/जांच कार्यवाही करने के लिए जाना पड़ता है। यह कहा गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण, राज्य में लॉकडाउन था और परिवहन सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था और यहां तक कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी भी संक्रमित हो गए हैं, जांच/जांच प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। यह बताया गया है कि कोरोना अवधि के लॉकडाउन के पूरा होने के बाद स्थिति सामान्य होने पर इस जांच/जांच प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

3.4. एस.आई.टी. की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि चूंकि संबंधित बीमा कंपनियां एफ. आई. आर. में शिकायतकर्ता बनने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए एस. आई. टी. के जांच अधिकारी को शिकायतकर्ता बनना पड़ता है और इसलिए इसमें भी कुछ समय लगता है। बताया जाता है कि जाँच अधिकारी भी न्यायालय में मौजूद है।

4. हम एस.आई.टी. के जांच अधिकारी से संदिग्ध फर्जी दावों के संबंध में विभिन्न बीमा कंपनियों से पहले से प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच/जांच में तेजी लाने के लिए कहते हैं। हम एसआईटी से यह भी कहना चाहते हैं कि वह एक और हलफनामा दायर करे कि कितने मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं; कब आरोप पत्र दायर किए गए हैं (आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख) किस न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए गए हैं और कितने मामलों में आरोप संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा तैयार किए गए हैं।

5. उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से दिनांक 05.12.2021 को एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसकी पुष्टि एक अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य सचिव ने की है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्य सचिव ने 06.07.2021 को चुने जाने के बाद अपना पद ग्रहण कर लिया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्य सचिव ने अपनी ओर से किए गए किसी भी कार्य या चूक के लिए अयोग्य और बिना शर्त माफी मांगी है, जो न तो जानबूझकर है और न ही जानबूझकर।

5.1. यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल यह भी सुनिश्चित करती है कि अनैतिक तरीके से फर्जी दावे के मामले दर्ज करने की ऐसी गतिविधियों में लिप्त दोषी अधिवक्ताओं को छूट न दी जाए और उनसे कानून के अनुसार उचित तरीके से निपटा जाए। यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल कानून के अनुसार दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और यह इस न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगी और निर्दिष्ट समय अवधि में अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करना भी सुनिश्चित करेगी।

5.2 जवाबी हलफनामे में, यह कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा जारी पहले के निर्देशों के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को एक विस्तृत रिपोर्ट और उठाए गए कदमों को दाखिल करने का निर्देश देते हुए, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने निम्नलिखित कार्रवाई की हैः

i) दिनांक 22.09.2021 के पत्र के माध्यम से, इसने कामगार मुआवजा आयुक्त, उत्तर प्रदेश और महाप्रबंधक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से शिकायत का विवरण और प्रति प्रदान करने के लिए कहा। हालांकि, 29.09.2021 तक कोई जवाब नहीं मिला।

ii) इसके बाद, उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल ने 29.09.2021 को फिर से कामगार मुआवजा आयुक्त, उत्तर प्रदेश और महाप्रबंधक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक अनुस्मारक पत्र भेजा।

iii) उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के कार्यालय अधीक्षक को भी इस न्यायालय द्वारा जारी पहले के निर्देशों के अनुसार की गई कार्रवाई के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। लेकिन, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वर्ष 2013 से संबंधित कुछ शिकायतें दी गईं। यह भी बताया गया कि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अधिवक्ता अधिनियम के तहत कोई शिकायत नहीं भेजी है क्योंकि ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, बार काउंसिल के सचिव से

इस तरह की अनैतिक प्रथा में कथित रूप से शामिल अधिवक्ताओं के विवरण, उनके नाम, नामांकन संख्या और पते के साथ प्रदान करने के लिए कहा गया था, ताकि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके।

क) बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने पत्र दिनांक 22.11.2021 के माध्यम से 28 (अट्ठाईस) अधिवक्ताओं को निलंबित कर दिया और 'बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश' को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को 3 (तीन) महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया गया।

ख) इसके अनुसरण में, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जनरल हाउस की एक आकस्मिक बैठक 27.11.2021 को बुलाई गई थी और उसी दिन अनुशासनात्मक समितियों का भी गठन किया गया था।

ग) कि अगले दिन, अर्थात, 28.11.2021 को, उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल के अध्यक्ष ने अनुशासनात्मक समितियों को मामले आवंटित किए और परिणामस्वरूप उक्त अनुशासनात्मक समितियों ने त्रुटिपूर्ण 27 (सत्ताईस) अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किया, जिसमें 08.12.2021 को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई। यहां यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जय सिंह नामक 1 (एक) अधिवक्ता का पहले ही निधन हो चुका है/उनकी मृत्यु हो चुकी है।

6. हम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा 22.09.2021 को या उसके बाद उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य में कानूनी पेशे की शुद्धता को बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया/बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से भी कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए कहते हैं।

7. हमने दो बीमा कंपनियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अतुल नंदा और विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु मेहरा और मोटर वाहन अधिनियम और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी मामले दर्ज करने के वकीलों के तौर-तरीकों पर उत्तर प्रदेश/एसआईटी की ओर से पेश हुए

विद्वान अधिवक्ता को भी विस्तार से सुना है। नकली क्षतिपूर्ति याचिकाओं को लागू करने के तौर-तरीकों की ओर इशारा करते हुए अलग-अलग नोट दायर किए गए हैं। अपनाए गए कुछ तौर-तरीके इस प्रकार हैंः

i) गैर-सड़क दुर्घटना चोट-मृत्यु को सड़क दुर्घटना दावों में परिवर्तित किया गया;

ii) वाहन का धोखाधड़ी से प्रत्यारोपण;

iii) चालक का गलत प्रत्यारोपण;

iv) दावेदार प्रत्यारोपण;

v) एक ही दुर्घटना के कारण हुई चोट/मृत्यु के मुआवजे के लिए विभिन्न क्षेत्रीय स्थानों पर कई दावे। अक्सर दावा आवेदन विभिन्न एमएसीटी न्यायाधिकरणों के साथ-साथ कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत अधिकारियों के समक्ष दायर किए जाते हैं;

vi) नकली / मनगढ़ंत बीमा पॉलिसियाँ; तथा

vii) अतिरंजित मुआवजे के लिए नकली/मनगढ़ंत आय दस्तावेज/चिकित्सा दस्तावेज

7.1. एस.आई.टी. के जांच अधिकारी ने आपराधिक मामलों/ प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायतों की जांच/जांच के दौरान समृद्ध अनुभव पर आधारित नकली मुआवजे की याचिकाएं दायर करने के तौर-तरीकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी भी दायर की है, जो इस प्रकार हैंः

1. <u>हिट एंड रन के मामले</u>

- ऐसी सड़क दुर्घटनाएँ जो अज्ञात वाहनों, कथित चश्मदीद गवाहों से होती हैं, उनमें तैयार की जाती हैं, उनके हलफनामे/बयानों के आधार पर, किसी अन्य बीमित वाहन द्वारा की गई दुर्घटना को दर्शाने वाले तथ्यों को प्रकाश में लाया जाता है और उपरोक्त वाहन के मालिक/चालक/बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की जाती है।
- ऐसी सड़क दुर्घटना के मामलों में जो अज्ञात वाहनों द्वारा की गई है, क्षतिपूर्ति याचिकाओं की स्थापना के उद्देश्य से, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई योजना में, वाहन/चालक से

संबंधित दस्तावेज कुछ अधिवक्ताओं से प्राप्त किए जाते हैं और ऐसे वाहनों/चालक के दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है।

- ऐसी सड़क दुर्घटनाएँ जो कुछ अज्ञात वाहनों से होती हैं, उनमें दुर्घटनाएँ ऐसे वाहनों द्वारा की जाती हैं जो पुराने हैं और उनके वाहन के मालिक पहले पंजीकृत मालिक बने रहते हैं। अधिवक्ता उपरोक्त वाहनों को पुराने वाहनों के रूप में खरीदते हैं, वे ऐसे वाहनों को अपने नाम से पंजीकृत नहीं कराते हैं जबकि उन वाहनों के वास्तविक/पंजीकृत मालिकों की पहले ही मृत्यु हो चुकी होती है। मूल मालिक की मृत्यु के बावजूद, ऐसे मृत वाहन मालिकों के नाम पर उनके साथी अधिवक्ताओं के माध्यम से नकली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित/तैयार किया जाता है। पूर्वनिर्धारित वाहनों को ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में दिखाया गया है, जो अज्ञात वाहनों से हुई थीं। ऐसे कई मामलों में पूर्वनिर्धारित वाहनों को दुर्घटना में दिखाया गया है और क्षतिपूर्ति याचिकाएं दायर की गई हैं।
- ऐसी सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में जहां अज्ञात वाहनों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है और जब उन अज्ञात वाहनों का पता नहीं चलता है और स्थानीय जांच अधिकारी माननीय न्यायालयों के समक्ष मामलों में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं में यदि उन वाहनों में यात्रा करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और दूसरा व्यक्ति घायल हो जाता है, तो उस घायल व्यक्ति को स्वयं उपरोक्त वाहन का चालक मानते हुए, अपनी लापरवाही दिखाते हुए, मुआवजे प्राप्त करने के लिए अपने वाहन की बीमा कंपनी को विरोधी पक्ष के रूप में फंसाकर, मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए मुआवजे की याचिकाएं भी दायर की जाती हैं।

2. <u>बिना बीमा के वाहनों को जानने के मामले।</u>

- यदि सड़क दुर्घटना ज्ञात वाहन के साथ हुई है और उस समय बीमित नहीं है, तो उस वाहन के स्थान पर अन्य बीमित वाहन के मालिक या चालक के साथ मिलीभुगत से, उक्त बीमित वाहन की उपरोक्त सड़क दुर्घटना को दर्शाते हुए क्षतिपूर्ति याचिकाएं दायर की जाती हैं।

3. <u>वास्तविक घटना और झूठी याचिकाओं के मामले</u>

- ऐसी झूठी क्षतिपूर्ति याचिकाएं भी सामने आई हैं जिनमें याचिकाकर्ता के नाम और पते का पता नहीं लगाया जा सका है और ऐसे याचिकाकर्ता की ओर से काल्पनिक कहानी बनाई गई है और झूठी दावा याचिकाएं दायर की गई हैं।

4. <u>वाहन मालिक/वाहन चालक/अधिवक्ता के संयोजन से संबंधित मामले</u>

- अवैध धन अर्जित करने के उद्देश्य से, कुछ वास्तविक वाहन मालिक और वाहनों के वास्तविक चालक वकीलों के साथ मिलकर, नकली याचिका दायर करने के लिए अज्ञात मोटर दुर्घटना मामलों में अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र और चालक लाइसेंस प्रस्तुत करते हैं।

5. <u>वास्तविक दुर्घटनाओं में फर्जी व्यक्तियों का नाम और पता लगाना</u>

- वास्तविक दुर्घटना मामलों में शामिल वास्तविक और सही घायल व्यक्तियों (चालक/क्लीनर) के स्थान पर ड्राइवर/क्लीनर के रूप में दिखाने वाले नकली नाम और पते वाले व्यक्ति, उपरोक्त दुर्घटनाओं में घायल दिखाकर डब्ल्यू. सी. ए. अदालतों में मुआवजे की याचिकाएं दायर की जाती हैं।

6. <u>अन्य कारणों से पकड़े गए/मृत व्यक्तियों से संबंधित मामले</u>

- जांच/जांच के दौरान, ऐसी नकली मुआवजा याचिकाएं भी सामने आई हैं जिनमें याचिकाकर्ता किसी अन्य कारण से विकलांग हो गया है (जैसे थ्रेशर मशीन से हाथ काटना) और उनके विकलांग/विकलांग होने के नकली विकलांग प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति फिर से प्राप्त की गई है जिसमें नकली दुर्घटना की तारीख के बाद दुर्घटना की तारीख और नकली मुआवजा याचिकाएं भी स्थापित की गई हैं।
- सड़क दुर्घटनाओं में घायल नहीं होने के बावजूद, मृत्यु के बाद या किसी अन्य कारण से घायल होने के बावजूद, उसके परिवार के सदस्य या वह स्वयं उसे या उस व्यक्ति को ड्राइवर/क्लीनर/मजदूर दिखाता है जो मर गया या घायल हो गया, मुआवजे की याचिकाएं फर्जी तरीके से दायर की जाती हैं।

7. <u>एक से अधिक न्यायालयों में एक ही मामले को दर्ज करने से संबंधित मामले</u>

- एक सड़क दुर्घटना में, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है, उसके परिवार के सदस्य या वह स्वयं उपरोक्त सड़क दुर्घटना से संबंधित एम.ए.सी.टी. न्यायालय में क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत करता है। यदि न्यायालय का निर्णय उसके पक्ष में नहीं है, तो वही याचिकाकर्ता कहानी को बदल देता है और फिर से कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत करता है
- न्यायालय में सड़क दुर्घटना से संबंधित मुआवजे की स्थापना के बाद और इसकी मुआवजे की राशि प्राप्त करने के बाद, फिर से उसी दुर्घटना को अन्य वाहन के साथ दिखाया जाता है जो अन्य बीमा कंपनी के साथ बीमित है और दूसरी दावा याचिका किसी अन्य जिले के कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम न्यायालय में फिर से मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए स्थापित की जाती है।

8. <u>एक से अधिक याचिकाओं में मुआवजा राशि चेक वितरण रजिस्टर में एक ही व्यक्ति की फोटो लगाने से संबंधित मामले</u>

- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम न्यायालय में विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर कुछ क्षतिपूर्ति याचिकाएं दायर की गईं। उपर्युक्त न्यायालय के फैसले के बाद, एक से अधिक मामलों/याचिकाओं में एक ही व्यक्ति की तस्वीर लगाई जाती है, मुआवजे की राशि और मुआवजे की राशि से संबंधित चेक प्राप्त करने के लिए चेक वितरण रजिस्टर पर चिपकाई जाती है और उसके बाद, उपरोक्त पूरी राशि संबंधित अधिवक्ता द्वारा अपने बैंक खाते में या अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।

9. उप श्रम आयुक्त के तबादले के बाद खारिज की गई याचिकाओं को उनके नए पदस्थापित स्थान पर दोबारा जमा करने के मामले

- क्षतिपूर्ति याचिकाओं की जांच/जांच के दौरान, यह भी पाया जाता है कि संबंधित जिले के कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम न्यायालय में दुर्घटनाओं की घटना से संबंधित याचिकाएं दायर की गई हैं। जब उपरोक्त जिले की डब्ल्यू सी ए न्यायालय के उप श्रम आयुक्त का किसी अन्य जिले में स्थानांतरण किया जाता है, तो उपरोक्त जिले के कुछ अधिवक्ता अपनी मुआवजे की याचिकाओं को खारिज कर देते हैं, और उसके बाद उन्होंने उपरोक्त

जिले में फिर से नई याचिकाएं दायर कीं, जहां तत्कालीन उप श्रम आयुक्त का स्थानांतरण याचिकाओं में फर्जी पता दिखाकर किया गया था।

10. दुर्घटना स्थल/स्थान वाले जिले में याचिकाएं स्थापित करने के बजाय अन्य जिले में याचिकाएं स्थापित करना

- क्षतिपूर्ति याचिकाओं की जांच/जांच के दौरान, यह भी पाया गया है कि कुछ क्षतिपूर्ति याचिकाएं स्थान/दुर्घटना स्थल के जिले की न्यायालय में स्थापित नहीं की गई थीं, बल्कि उन्हें याचिकाकर्ता के मूल पते का उल्लेख करने के बजाय केवल अस्थायी पते का उल्लेख करके अन्य जिले की न्यायालय में स्थापित किया गया था। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि यह अस्थायी पता भी अधूरा है।

11. फर्जी वकालतनामा से संबंधित मामले

- सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे की याचिकाओं की जांच/जांच के दौरान, यह तथ्य भी सामने आया है कि वास्तविक/मुख्य अधिवक्ता जिसने दावा याचिका दायर की है, वह संबंधित न्यायालय में अपना वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करता है, वह ऐसे अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करता है, जो मुआवजे की याचिकाओं पर अपने मोबाइल नंबर का उल्लेख करके मुआवजे की याचिका दायर नहीं करता है।
- सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे की याचिकाओं की जांच/जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि संबंधित न्यायालय में मुआवजे की याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता ने अधिवक्ता के नाम के स्थान पर ऐसे फर्जी व्यक्ति का नाम लिया है, जिसका पता नहीं चल सका है। जबकि इस तरह के मामले को अधिवक्ता द्वारा आगे बढ़ाया गया था जिसने इस याचिका को छलावरण तरीके से प्रस्तुत किया था।

7.2 दोनों बीमा कंपनियों की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अतुल नंदा और श्री विष्णु मेहरा ने कहा कि इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के बावजूद, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 158 (6) (2019 संशोधन से पहले) और धारा 159 (2019 संशोधन के बाद) के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। रिलायंस को सामान्य बीमा परिषद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर रखा गया है, जो (2007) 12 एससीसी

354 में रिपोर्ट किया गया है; सामान्य बीमा परिषद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 6 एससीसी 768 में रिपोर्ट किया गया; जय प्रकाश बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, (2010) 2 एससीसी 607 में रिपोर्ट किया गया और इस न्यायालय का हालिया निर्णय दिनांक 16.03.2021 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 534/2020 में पारित किया गया, जो 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 418 में रिपोर्ट किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 534/2020 में पारित अपने दिनांक 16.03.2021 के आदेश में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैंः

क. <u>दुर्घटना सूचना रिपोर्ट</u> –

क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन अधिनियम की धारा 158 (6) (2019 संशोधन के बाद की धारा 159) के तहत दुर्घटना की रिपोर्ट अधिकरण और बीमाकर्ता को पहले 48 घंटों के भीतर या तो ईमेल या एक समर्पित वेबसाइट पर करेगा।

ख. <u>विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट</u> –

पुलिस दुर्घटना से संबंधित दस्तावेजों को एकत्र करेगी और मुआवजे की गणना करेगी और जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। ये दस्तावेज रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। यह तीन महीने के भीतर अधिकरण और बीमाकर्ता को रिपोर्ट ईमेल करेगा। इसी तरह, दावेदारों को एक ही समय के भीतर अधिकरण और बीमाकर्ता को धारा 166 के तहत सहायक दस्तावेजों के साथ मुआवजे के लिए आवेदन ईमेल करने की भी अनुमति दी जा सकती है।

ग. अधिकरण बीमाकर्ता को ईमेल द्वारा रिपोर्ट या मुआवजे के लिए आवेदन के साथ समन जारी करेगा, जैसा भी मामला हो।

घ. बीमाकर्ता दावेदारों पर सेवा के प्रमाण के साथ अधिकरण को रिपोर्ट या दावे के लिए आवेदन के निपटान/प्रतिक्रिया के लिए अपने प्रस्ताव को ईमेल करेगा।

ङ. पुरस्कार पारित करने के बाद, अधिकरण पुरस्कार की एक प्रमाणित प्रति बीमाकर्ता को ईमेल करेगा।

च. बीमाकर्ता आरटीजीएस या एनईएफटी द्वारा अधिकरण द्वारा बनाए गए बैंक खाते में दी गई राशि जमा करके पुरस्कार को संतुष्ट करेगा। इस उद्देश्य के लिए, अधिकरण एक बैंक खाते का रखरखाव करेगा और बीमाकर्ता को भुगतान के निर्देशों के साथ संबंधित खाते के विवरण को रिकॉर्ड करेगा।

छ. प्रत्येक अधिकरण पुलिस और बीमाकर्ता से ईमेल प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट ईमेल आईडी बनाएगा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसी तरह, पूरे भारत में सभी बीमाकर्ता प्रत्येक दावा अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट ईमेल आईडी भी बनाएँगे। दावेदारों के लाभ के लिए इन ईमेल आईडी को अधिकरण, पुलिस थानों और बीमाकर्ताओं के कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

ज. बीमाकर्ता प्रत्येक अधिकरण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और राज्य पुलिस के महानिदेशकों और न्यायाधिकरणों को अपना संपर्क विवरण, फोन और मोबाइल फोन नंबर और ईमेल पता प्रदान करेंगे।

7.3 बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अतुल नंदा ने भी अपने नोट में दो सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए पहले के निर्देशों को पूरी तरह से लागू किया जाता है और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 159 का अखिल भारतीय पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जाता है और धारा 159 (2019 संशोधन के बाद) के तहत विचार की गई दुर्घटना सूचना रिपोर्ट सरकारी पोर्टल-वाहन और सारथी के रूप में जाने वाले वाहन पंजीकरण के राष्ट्रीय रजिस्टर पर उपलब्ध है, तो यह एक ही दुर्घटना के संबंध में विभिन्न राज्यों में एक से अधिक दावे दायर करने की समस्या का समाधान कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिवहन प्राधिकरण वाहन पंजीकरण का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बना रहे हैं जिसे "वाहन" और "सारथी" के रूप में जाना जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और सत्यापन और वाहनों का पंजीकरण पारदर्शी और परेशानी मुक्त हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन मौजूदा डेटाबेस को दावों के निर्णय के उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकता है यदि उन्हें दुर्घटनाओं और चालकों के विवरण को शामिल करने के

लिए विस्तारित किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि "वाहन" पोर्टल को अनुमति देने के लिए संशोधित किया जाता है और दुर्घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को मालिक के पंजीकृत मोबाइल पर एक स्वचालित सूचना के साथ ऐसे पोर्टल के खिलाफ दुर्घटना की प्रविष्टि का अनिवार्य रूप से समर्थन करना आवश्यक है, तो इस तरह के नकली दावों को जमा करने से रोकने में यह बहुत उपयोगी होगा।

7.4 वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अतुल नंदा ने आगे कहा कि प्रत्येक राज्य में एस.आई.टी. के गठन की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस.आई.टी. केवल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में मौजूद है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि संबंधित राज्य सरकारों को संदिग्ध फर्जी दावों/याचिकाओं की शिकायतों के संबंध में एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया जाए, जिसका नेतृत्व पर्याप्त बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से कम के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

8. संबंधित बीमा कंपनियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश/एस. आई.टी. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और दिए गए सुझावों को सुनने के बाद, हमारी राय है कि आगे कोई निर्देश जारी किए जाने से पहले, हमें परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से गलत/धोखाधड़ी दावा याचिकाएं दायर करने के खतरे को रोकने के लिए उपचारात्मक और निवारक उपायों के लिए उनके सुझाव मिल सकते हैं।

तदनुसार हम रजिस्ट्री को परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल करने और नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं। हम भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज से अनुरोध करते हैं कि वे भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से पेश हों और न्यायालय की सहायता करें और सुझाव दें कि झूठी/फर्जी दावा याचिकाएं दायर करने के खतरे को कैसे रोका जाए। प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त करने के बाद, हम पूरे भारत में लागू करने के लिए आगे के निर्देश जारी कर सकते हैं।

आगे के विचार के लिए 25.01.2022 को पेश करें।

बिभूति भूषण बोस निर्देश जारी किए गए हैं।

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।